

उत्तरांचल शासन
कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 880/XXX (2)/2004-55(39)/2004
देहरादून, 14 जून, 2004

अधिसूचना

प्रकीर्ण

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके, राज्यपाल, उत्तरांचल सरकार के विभिन्न विभागों में समूह “घ” की कतिपय श्रेणियों के पदों पर भर्ती और ऐसे पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

समूह “घ” कर्मचारी सेवा नियमावली, 2004

भाग एक

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह नियमावली समूह “घ” कर्मचारी सेवा नियमावली, 2004 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. सेवा नियमावली का लागू होना—(1) इस नियमावली जैसा कि नियम 4 के खण्ड (ज) में यथा परिभाषित सभी अधीनस्थ कार्यालयों में नियम 6 में निर्दिष्ट “घ” के सभी पदों पर लागू होगी।

(2) कोई विशेष पद गैर-तकनीकी पद है या नहीं, ऐसा मामला सरकार के कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

3. इस नियमावली का अभिभावी प्रभाव—इस नियमावली और किसी विभाग में उपर्युक्त किसी पद से सम्बन्धित किसी विनिर्दिष्ट नियम या नियमों के बीच कोई असंगति होने की दशा में—

(एक) इस नियमावली में दिये गये उपबन्ध असंगति की सीमा तक अभिभावी होंगे, यदि विशिष्ट नियम इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व बनाये गये हों;

(दो) विशिष्ट नियमों में दिये गये उपबन्ध अभिभावी होंगे यदि वे इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् बनाये जायें।

4. परिभाषाएँ—जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में—

(क) “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य ऐसे प्राधिकारी से है जिसे विशिष्ट विभाग में किसी ऐसी श्रेणी या श्रेणियों के पदों के सम्बन्ध में, जिस पर यह नियमावली लागू होती हो, नियुक्ति प्राधिकारी विनिर्दिष्ट किया जाये;

(ख) “भारत का नागरिक” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये;

(ग) “संविधान” का तात्पर्य भारत के संविधान से है;

(घ) “अधिष्ठान” का तात्पर्य समूह “घ” के उस अधिष्ठान से है जिसके अन्तर्गत पद हों;

(ड) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल सरकार से है;

(च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है;

(छ) "उच्च न्यायालय" का तात्पर्य उच्च न्यायालय, नैनीताल से है;

(ज) "अधीनस्थ कार्यालय" का तात्पर्य सरकार के नियंत्रण में सभी कार्यालयों से है, किन्तु इसके अन्तर्गत सचिवालय, राज्य विधान मण्डल, लोक आयुक्त, लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नियंत्रण और अधीक्षण में अधीनस्थ न्यायालयों, महाधिवक्ता, उत्तरांचल के कार्यालय और महाधिवक्ता के नियंत्रण में अधिष्ठान नहीं हैं;

(झ) "छंटनी किया गया कर्मचारी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है—

(एक) जो राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद पर स्थायी, अस्थायी या स्थानापन्न रूप में कुल एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिये जिसमें से कम से कम तीन मास की सेवा निरन्तर सेवा के रूप में होनी चाहिए, नियोजित था,

(दो) जिसे अधिष्ठान में कमी या उसका परिसमापन किये जाने के कारण सेवा से अवमुक्त किया गया हो या किया जा सकता है, और

(तीन) जिसके सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छंटनी किया गया कर्मचारी होने का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो, किन्तु इसके अन्तर्गत केवल तदर्थ आधार पर नियोजित कोई व्यक्ति नहीं है;

(ट) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलैण्डर वर्ष की प्रथम जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग दो
संवर्ग

5. सेवा की सदस्य संख्या—किसी विशिष्ट विभाग/कार्यालय में समूह "घ" के अधिष्ठान की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये :

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी किसी पद या किसी वर्ग के पदों को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

भाग तीन
भर्ती

6. भर्ती का स्रोत—समूह "घ" के विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती का स्रोत निम्नलिखित होगा:—

- | | |
|--|--|
| (क) चपरासी, संदेशवाहक, चौकीदार, माली, फर्शिश, सफाईकार, पानीवाला, भिश्ती, टिंडेल, ठेलापैन, अभिलेख उठाने वाला और प्रत्येक अन्य गैर तकनीकी पद | सीधी भर्ती द्वारा; |
| (ख) चपरासी—जमादार | स्थायी चपरासी में से पदोन्नति द्वारा; |
| (ग) दफ्तरी/जिल्द—साज/साइक्लोस्टाइल ऑपरेटर | अर्ह चपरासियों, सन्देशवाहकों या फर्शिशों में से पदोन्नति द्वारा; |
| (घ) फर्शिश—जमादार | स्थायी फर्शिशों में से पदोन्नति द्वारा; |
| (ड) सफाईकार—जमादार | स्थायी सफाईकारों में से पदोन्नति द्वारा; |

(च) प्रधान माली

स्थायी माली में से पदोन्नति द्वारा :

परन्तु यदि ऐसे किसी विशिष्ट पद पर जिसे पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित हो, पदोन्नति के लिये कोई पात्र उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो उस पद को सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है।

भाग चार

अर्हता

7. आरक्षण—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य-श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार होगा।

टिप्पणी—अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित पद पर केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की ही नियुक्ति की जा सकती है। सामान्य अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं हैं।

8. "राष्ट्रीयता—समूह "घ" के पद पर भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का, ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश—केन्या, उगाण्डा या यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगनिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तरांचल से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में तभी रहने दिया जायेगा जबकि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से ही इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

9. आयु—समूह "घ" के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु भर्ती के वर्ष की प्रथम जुलाई को 18 वर्ष की हो जानी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

10. शैक्षिक अर्हताएं—(1) चपरासी, सन्देशवाहक या साइक्लोस्टाइल ऑपरेटर के पद पर भर्ती के लिये अभ्यर्थी कम से कम पांचवी कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये जो कम से कम देवनागरी लिपि में हिन्दी लिख और पढ़ सकता है।

(2) कोई व्यक्ति माली के पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे माली के कार्य का अपेक्षित ज्ञान और समुचित अनुभव न हो।

(3) कोई व्यक्ति दफ्तरी जिल्दसाज के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे जिल्दसाजी के कार्य का अपेक्षित ज्ञान और समुचित अनुभव न हो।

(4) कोई व्यक्ति साइक्लोस्टाइल ऑपरेटर के रूप में या किसी अन्य पद पर जिसके लिये तकनीकी ज्ञान अपेक्षित न हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे अपेक्षित तकनीकी ज्ञान और विशिष्ट कार्य के सम्बन्ध में समुचित अनुभव न हो।

(5) समूह "घ" के प्रत्येक श्रेणी के पद पर भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी साइकिल चलाना जानता हो, परन्तु यह शर्त महिला अभ्यर्थियों तथा पर्वतीय क्षेत्र के पदों पर लागू न होगी।

(6) अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को अधिष्ठान में सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसने प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक की सेवा की हो।

11. भूतपूर्व सैनिकों और कतिपय अन्य श्रेणियों के लिये छूट—भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग सैनिकों, युद्ध में मृत सैनिकों के आश्रितों, उत्तरांचल सरकार के सेवकों की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों और खिलाड़ियों के पक्ष में अधिकतम आयु सीमा, शैक्षिक अर्हता या और भर्ती का किन्हीं प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं से छूट, यदि कोई हो, भर्ती के समय इस निमित्त प्रवृत्त सरकार के सामान्य नियम या आदेश के अनुसार होगी।

12. चरित्र—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह अधिष्ठान में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी—राज्य सरकार या संघ सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिकता अधमता के किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

13. वैवाहिक प्रास्थिति—अधिष्ठान में नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो, परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

14. शारीरिक स्वस्थता—किसी भी अभ्यर्थी को अधिष्ठान में तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोषों से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फण्डामेण्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनैन्शियल हैण्ड-बुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे।

भाग पांच

भर्ती की प्रक्रिया

15. चयन समिति का गठन—सीधी भर्ती एक चयन समिति द्वारा की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:—

(1) नियुक्ति प्राधिकारी।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई एक अधिकारी। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक ऐसा

अधिकारी नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का न हो।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अन्य पिछड़े वर्ग का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग का एक अधिकारी नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक ऐसा अधिकारी नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा जो अन्य पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो :

परन्तु यदि उसके विभाग या संगठन में ऐसे उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हों तो ऐसा अधिकारी, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा और यदि उपयुक्त अधिकारियों के उपलब्ध न होने के कारण वह ऐसा करने में असफल रहे तो ऐसा अधिकारी मण्डलायुक्त द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा।

16. भर्ती प्रति वर्ष की जायेगी-इस नियमावली के अधीन भर्ती के लिये चयन प्रतिवर्ष या जब कभी आवश्यक हो, किया जायेगा।

17. चयन की प्रक्रिया-(1) नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा, रिक्तियों की सूचना सेवायोजन कार्यालय को भेजी जायेगी। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे व्यक्तियों से भी, जिन्होंने सेवायोजन कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराया हो, आवेदन-पत्र सीधे आमंत्रित कर सकता है। इस प्रयोजन के लिये नियुक्ति प्राधिकारी नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस चिपकाने के अतिरिक्त किसी स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करायेगा। ऐसे समस्त आवेदन-पत्र चयन समिति के समक्ष रखे जायेंगे।

(2) जब चयन समिति द्वारा सामान्य अभ्यर्थियों और आरक्षित अभ्यर्थियों (जिनके लिये सरकारी आदेशों के अधीन रिक्तियाँ आरक्षित करना अपेक्षित हो) दोनों के नाम प्राप्त हो जायें तब वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करेगी और विभिन्न पदों के लिये अभ्यर्थियों का चयन करेगी।

(3) चयन समिति चयन करने में छंटनी किये गये कर्मचारियों को महत्व (वेटेज) देने के लिए निम्नलिखित रीति से अंक देगी :-

(एक) प्रथम वर्ष की पूरी सेवा के लिये 5 अंक

(दो) प्रत्येक आगामी एक पूरे वर्ष की सेवा के लिये 5 अंक :

परन्तु छंटनी किये गये किसी कर्मचारी को इस उपनियम के अधीन दिये जाने वाले अधिकतम अंक 15 अंक से अधिक नहीं होंगे।

(4) चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ऐसी रिक्तियों की जिनके लिये चयन किया गया है, संख्या से अधिक किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। चयन सूची में नाम साक्षात्कार में दिये गये अंकों के अनुसार रखे जायेंगे।

18. सामान्य सूची-जब चयन किये गये सामान्य और आरक्षित दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों के नाम प्राप्त हो जायें तब नियुक्ति प्राधिकारी उन्हें एक सामान्य सूची में क्रमबद्ध करेगा। प्रथम नाम सामान्य अभ्यर्थियों की सूची से और उसके पश्चात् आरक्षित अभ्यर्थियों का नाम होगा और इसी प्रकार आगे भी। इस प्रकार तैयार की गयी चयन सूची चयन के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी।

19. पदोन्नति की प्रक्रिया-(1) सभी पदों के सम्बन्ध में पदोन्नति का मानदण्ड, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता होगी।

(2) पदोन्नति एक ही अधिष्ठान में, पात्र अभ्यर्थियों में से विभागीय चयन करके की जायेगी। विभागीय चयन समिति का गठन जिसमें तीन सदस्य होंगे, विभागाध्यक्ष के आदेशानुसार किया जायेगा।

भाग छः

नियुक्ति, परीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

20. नियुक्ति—(1) मौलिक रिक्तियाँ होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति नियम 20 या 21 के अधीन तैयार की गयी अभ्यर्थियों की सूची में नियुक्तियाँ उसी क्रम में करेगा, जिसमें उनके नाम सूची में आये हों।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी स्थानापन्न और अस्थायी रिक्तियों में भी उक्त सूची से और उपनियम (1) में रीति से नियुक्ति करेंगे।

21. परीक्षा—(1) अधिष्ठान में, किसी पद पर, स्थायी रिक्ति में नियुक्ति किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिये परीक्षा पर रखा जायेगा:

परन्तु अधिष्ठान के किसी पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को उस पद के लिए परीक्षा-अवधि की संगणना करने में गिने जाने के लिये की जा सकती है:

परन्तु यह और कि नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परीक्षा-अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक अवधि बढ़ायी जायेगी:

परन्तु यह और कि परीक्षा-अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(2) यदि परीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परीक्षा-अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उस पद पर, जिस पर उसका धारणाधिकार हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं जिससे इनमें से किसी दशा में वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

22. स्थायीकरण—किसी परीक्षाधीन व्यक्ति को, यथास्थिति, परीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परीक्षा-अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक पाया जाये, नियुक्ति प्राधिकारी उसे स्थायी किये जाने के योग्य समझे और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये।

23. ज्येष्ठता—(1) एतदपश्चात् यथा उपबन्धित के सिवाय किसी श्रेणी के पद पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उस क्रम से जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायेगी:

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश से किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाये तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा, और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्ति किये गये व्यक्ति की परस्पर ज्येष्ठता वह होगी जो चयन समिति द्वारा अवधारित की गयी हो :

परन्तु सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का प्रस्तावित किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। युक्तियुक्त के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो जिससे उसकी पदोन्नति की गयी।

भाग सात

वेतन इत्यादि

24. वेतनमान—(1) अधिष्ठान में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिये हैं:-

पद का नाम	वेतनमान (रु०)
(क) चपरासी, संदेशवाहक, चौकीदार, माली, फर्ाश, सफाईकार, पानीवाला, भिश्ती, टिंडेल, टेलामैन, अभिलेख उठाने वाला और प्रत्येक अन्य गैर तकनीकी पद	2550-55-2660-60-3200
(ख) चपरासी-जमादार	2610-60-3150-65-3540
(ग) दफ्तरी/जिल्द-साज/साइक्लोस्टाइल ऑपरेटर	
(घ) फर्ाश-जमादार	
(ङ) सफाईकार-जमादार	
(च) प्रधान माली	

25. परीक्षा-अवधि में वेतन—(1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसको प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसे स्थायी कर दिया गया हो :

परन्तु यदि सन्तोषप्रद सेवा प्रदान न कर सकने के कारण परीक्षा-अवधि बढ़ाई जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परीक्षा-अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परीक्षा-अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परीक्षा-अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग आठ

अन्य उपबन्ध

26. पक्ष समर्थन-पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अम्यर्थी की ओर से अपनी अम्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

27. अन्य विषयों का विनियमन—ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, विभिन्न विभागों/कार्यालयों में पदों पर नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों/विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे।

28. सेवा की शर्तों में शिथिलता—जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि अधिष्ठान में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा में शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह, उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामलों में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, उसे नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है।

आज्ञा से,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव।